

# Annexure - 1

(4)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (2) सेवा/आनापति/जापु/2007-08/2248

दिनांक 7 फरवरी 2007

## आदेश

निम्नांकित महाविद्यालयों से राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन को अनुसार अकादमी अधिनियम 2007-08 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	संकाय सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	11	बागसूर महाविद्यालय	बागसूर, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
2	34	यूनिवर्सल पी.जी.कालेज	4 माइल रोजन, हिण्डान रोड, महवा	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
3	39	महात्मा गांधी पी.जी. महाविद्यालय	महवा, दीसा	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
4	49	विद्यालय व ज सीयू	सीयू, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
5	54	रोड जेवियरस कॉलेज	फागी, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
6	97	ओम कोठारी प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान	ए-1 स्पेशल, आर्.पी.आर्. ए., बालावाड रोड, कोटा	कोटा विश्वविद्यालय कोटा	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
7	154	सागली बेटी महाविद्यालय	सागली, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
8	202	लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज	महात्मा मेहरु नगर, जोधपुर	जे.एन.व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
9	210	अशोक महाविद्यालय	पुष्पापी-1, सीको जी.पी.ओ. रोड, नीमकावाणा, सी सर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
10	244	श्री विपकी साई माता कॉलेज	वि.श.भगवत, तह.सांभर, जि.जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
11	248	सरकार भारती महाविद्यालय	मंगल, तह.सांभर, जि.जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
12	258	महानदी विधि महाविद्यालय	वैद्यनाथ रोड रोड 4, मानसरोवर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	विधि
13	264	श्यामदीप महाविद्यालय	सरिता आशाराम आश्रम के पास, लूनिवावा, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय

- संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानकानुसार अशुद्धि रटफ की निरवृत्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पूर्णता करेगी ।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।

७६

4. संस्था को समय-2 पर सूची-10 / राज्य सरकार / उच्च शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1969 तथा कक्षा-10 नियम 1970 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्था. मान्यता प्राप्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का हकी भी उल्लंघन करने पर अपने विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहृत (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक साल में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आमंत्रण करना होगा ।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में N.A.A.C से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. सभी महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यिकी पुरितका प्राप्त कर निर्धारित अंशों में पूर्ण सूचनार्थी भरकर आयुक्तालय को भेजनी ।

(पवन कुमार गोयल)  
आयुक्त

सं. क्र. : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/222113

दिनांक 7 जुलाई 2007

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- (i) निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- (ii) निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- (iii) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- (iv) निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- (v) जिला कलेक्टर, अजमेर/दौरा/जयपुर/कोटा/कलेज/शीकर ।
- (vi) उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- (vii) विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग राजस्थान, जयपुर ।
- (viii) मूल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/मूल सचिव विश्वविद्यालय, कोटा/जयपुर द्वारा विश्वविद्यालय, कोटापुर ।
- (ix) सचिव, राज्यस्तरीय महाविद्यालय ।
- (x) सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- (xi) संबंधित संस्था/महाविद्यालय पत्रायली ।
- (xii) रक्षित पत्रायली ।

संयुक्त-निदेशक(अनुदान)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।